

■ 0522-2738692
फैक्स : 0522-2738695

तार—नवसम

नवोदय विद्यालय समिति

(पानव संशाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग,
भारत सरकार का स्वायत्त्व संगठन)



■ 0522-2738692

Fax : 0522-2738695

Gram-NAVSAM

Navodaya Vidyalaya Samiti

(An Autonomous Organization of Ministry of
human Resource Development, Govt. of India)

फ-6(सामान्य) / नविस-2014 / (लक्षे) / वि.प्र.

दिनांक : 01.12.2014

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
जवाहर नवोदय विद्यालय
लखनऊ सम्बाग।

विषय : प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में साप्ताहिक गतिविधियों को प्राचार्य / उपप्राचार्य द्वारा बारी-बारी से समस्त स्टाफ तथा बच्चों के बीच में प्रत्येक शनिवार को साझा करने के सम्बन्ध में ।


महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विद्यालयों के भ्रमण के दौरान यह अनुभव किया गया कि विद्यालय के प्राचार्य तथा उपप्राचार्य बारी-बारी से प्रत्येक शनिवार की प्रातःकालीन सभा में सप्ताह की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में लगभग 5 मिनट की रिपोर्ट तैयार कर समस्त स्टाफ एवं बच्चों के बीच में साझा करें । उस सप्ताह प्राचार्य / उपप्राचार्य द्वारा विद्यालय के संचालन में क्या समस्या आयी तथा उसके निदान के लिए किस तरह का प्रयास किया गया, के बारे में बताया जाये साथ ही साथ विद्यालय के मजबूत व कमज़ोर पक्ष के बारे में भी बताया जाय । शैक्षणिक क्षेत्र अथवा अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में उन्हें स्टेज पर बुलाकर प्रोत्साहित किया जाये जिससे अन्य बच्चों के बीच में भी अच्छा करने की इच्छा जागृत हो तथा छात्र-छात्राओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार हो ।

उपरोक्त कार्य हेतु प्राचार्य तथा उपप्राचार्य नियमित रूप से विद्यालय की समस्त गतिविधियों का सूक्ष्मता से अध्ययन करें तथा प्रत्येक दिन का मूल्यांकन लिखित रूप में पंजिका में दर्ज करें इससे निर्धारित तिथि को उस विषय में चर्चा करने में आसानी होगी ।

अतः सभी प्राचार्य / प्राचार्या को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए तत्काल प्रभाव से सुझाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें जिसकी समीक्षा अधोहस्ताक्षरी तथा सहायक आयुक्त / संकुल प्रभारियों द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान की जायेगी ।

भवदीय,


(गिरीश चन्द्र)
उपायुक्त

प्रतिलिपि:

सहायक आयुक्त / संकुल प्रभारी, लखनऊ संकुल, आगरा संकुल, वाराणसी संकुल एवं हरिद्वार संकुल को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

web site, open
Comm. m 1.12.13